अध्याय-III

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय 3

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

3.1 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 थ से 243 यछ के माध्यम से नगरपालिकाओं से सम्बन्धित कुछ प्रावधानों को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रावधान प्रस्तुत करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 18 अक्टूबर 1994 को अधिनियमित किए, जैसा कि **तालिका 3.1** में विवर्णित है।

तालिका-3.1: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

भारतीय संविधान का प्रावधान	भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	हिमाचल प्रदेश नगर निगम एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियमों 1994 की धाराएं	
		हिमाचल प्रदेश नगर निगम	हिमाचल प्रदेश नगर पालिका
अनुच्छेद 243 थ	**नगरपालिकाओं का गठन** तीन प्रकार की नगरपालिकाओं अर्थात् परिवर्ती क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद तथा बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का प्रावधान करता है।	03	03
अनुच्छेद 243 द	**नगरपालिकाओं की संरचना:** सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव तथा सरकार द्वारा मनोनीत नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से भरी जाएंगी। किसी राज्य की विधायिका ऐसे संसद व विधानसभा के सदस्यों को जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हैं, तथा विधानपरिषद के सदस्यों को जो शहर के अन्दर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, एक विधेयक द्वारा नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है।	04	10
अनुच्छेद 243 ध	**वार्ड समिति का गठन एवं संरचना:** यह तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली सभी नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है।	44 C	51 C

अनुच्छेद 243 न	**सीटों का आरक्षण:** प्रत्यक्ष चुनाव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।	10	11
अनुच्छेद 243 प	**नगरपालिकाओं का कार्यकाल:** नगरपालिका का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बना रहेगा तथा उसका पुनर्निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले एवं उसके विघटन होने की स्थिति में विघटन होने की तिथि से छः माह के भीतर होगा।	05	14
अनुच्छेद 243 फ	**सदस्यता के लिए अयोग्यता:** एक व्यक्ति को नगरपालिका की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा- • यदि वह संबधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घेषित किया जाता है। • यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधान द्वारा या उसके अन्तर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।	08	16
अनुच्छेद 243 ब	**नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व**: सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों से सौंपी जाएंगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रुप में कार्य करने में समर्थ बनाने में आवश्यक हो। राज्य सरकार इस प्रकार की शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगी ताकि वह 12वीं अनुसूची में निहित उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में सक्षम हो।	42	48
अनुच्छेद 243 भ	**नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति एवं उनकी निधियां:** • नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, प्रभार आदि अधिरोपित करने एवं एकत्रित करने का अधिकार होगा। • राज्य सरकार द्वारा लगाए एवं एकत्रित किये जाने वाले कर, प्रभार, टोल व शुल्क समनुदिष्ट करना। • नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान राज्य की समेकित निधि से दिया जाएगा। • नगरपालिकाओं द्वारा धन के उपार्जन एवं आहरण हेतु निधियों का गठन किया जाएगा।	84 व 85, 79 (a-ii व iii) एवं 69	65 व 66, 69, 64 (a-ii व iii), 52
अनुच्छेद 243 झ साथ पठित अनुच्छेद 243 म	**वित्त आयोग:** राज्य सरकार निम्नलिखित हेतु वित्त आयोग का गठन करेगी: • नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने में सहायता करने वाले कदम उठाना। • राज्य सरकार द्वारा प्रभारित करों, शुल्कों, टोल व प्रभारों से हुई वास्तविक आय का राज्य एवं नगरपालिकाओं के मध्य वितरण करना। • राज्य में नगर निकायों को राज्य की समेकित निधि से निधियों का आवंटन करना।	79	64

अनुच्छेद 243 य	**नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा:** नगरपालिकाओं द्वारा लेखाओं के अनुरक्षण एवं ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु प्रावधान किया गया है।	161	252 व 255
अनुच्छेद 243 ट के साथ पठित अनुच्छेद 243 यक	**नगरपालिकाओं में चुनाव:** नगरपालिकाओं में चुनाव की समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।	09	281
अनुच्छेद 243 यघ	**जिला योजना हेतु समिति:** • जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। • जिला योजना समिति की संरचना। • विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे सरकार को अग्रेषित करना।	421	261

राज्य के विधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों का वैधानिक अनुपालन जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण की गारंटी नहीं देता, जब तक कि संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तविक कार्यान्वयन हेतु विधायी प्रावधानों के अनुसार निर्णायक कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना को पूर्ण रूप से बरकरार नहीं रखा गया। यह कार्यों के हस्तांतरण एवं प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण से सम्बन्धित प्रावधानों के मामलों में विशेष रूप से सत्य था, जिनकी चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।